चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक 19.12.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों एवं उपस्थित पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ,तत्पर और अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम कराए गए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड की दौड़ करायी गयी। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया तथा परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुशासन, एकरूपता और कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में बताया गया।
इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा,प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव,प्रभारी आरटीसी शिवमूरत यादव व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

(3). आज दिनाँक-19.12.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह एवं पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू श्री अजेय कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी एलआईयू श्री नागेन्द्र भूषण पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 एलआईयू शिवसागर तिवारी की उपस्थिति में पौष मास अमावस्या मेला के दृष्टिगत एस-चेक टीम रेंज बांदा,बीडीएस टीम झांसी,डॉग स्क्वॉयड, एलआईयू की संयुक्त टीम द्वारा रामघाट,निर्मोही अखाड़ा, लक्ष्मण पहाड़ी,बरहा हनुमान मंदिर, परिक्रमा मार्ग पर संदिग्ध वस्तुओं/व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई।

(4). आज दिनाँक 19.12.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यपाल सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री उपेंद्र प्रताप सिंह,थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह, उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह थाना पहाड़ी की उपस्थिति में विगत 29 माह से सीतापुर मेला क्षेत्र में पौष मास अमावस्या मेला के अवसर पर दर्शन करने के लिये आये हुये श्रद्धालुओं को हल्का नाश्ता के रूप में पूड़ी सब्जी वितरित किया गया।

(5). आज दिनांक 19.12.2025 को अपर पुलिस अक्षीक्षक श्री सत्यपाल सिंह द्वारा पौष अमावस्या मेला को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत रामघाट,निर्मोही अखाडा मेला क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। भ्रमण के दौरान मेला में लगे सभी अधिकारी/कर्मचारीगण की ड्यूटी चेक कर सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करने एवं श्रद्धालुओं से विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने हेतु बताया गया तथा घाटों पर लगे पुलिस बल को बताया गया कि गहरे पानी में जाने के लिए श्रद्धालुओं को रोके,जो नाव लगे है उनकी सहायता से तत्काल बचाव का कार्य करेंगें ।

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री सत्यमपति त्रिपाठी एवं पैरोकार आरक्षी मनीष कुमार, प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिनाँक 18.12.2025 को पैरवी हेतु मुख्यालय से चिन्हित थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 507/2011 धारा 307 भा0द0वि0 व मु0अ0सं0 508/2011 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1. जमील नट पुत्र राजअली निवासी ग्राम पचीसा का डेरा मजरा खैरई थाना खागा जनपद फतेहपुर को 05 वर्ष का कारावास व 8,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 25.10.2011 को उ0नि0 हरीशरण सिंह द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर कर देना । इस सूचना पर थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 507/2011 धारा 307 भा0द0वि0 12/14 डीए एक्ट बनाम जमील नट,अकील नट उपरोक्त अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री केशरी सिंह द्वारा सम्पादित की गई तथा दिनांक 22.12.2011 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(7).पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्याम प्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री प्रभूनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश चित्रकूट श्री शेषमणि त्रिपाठी द्वारा आज दिनाँक 19.12.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 182/2022 धारा 302 भा0द0वि0 के अभियुक्त देवकुमार उर्फ दद्दू पुत्र स्व0 उदिया निवासी बरमपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-
उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.05.2022 को वादी राजेन्द्र प्रसाद पटेल पुत्र बल्देव प्रसाद निवासी बड़ी मडैयन थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी कि अभियुक्त दामाद द्वारा वादी की पुत्री फुलकुमारी उम्र 29 वर्ष को लकड़ी की पाटी से पीट पीट कर हत्या कर देना। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 182/2022 धारा 302 भा0द0वि0 बनाम देवकुमार उर्फ दद्दू उपरोक्त पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्री भाष्कर मिश्रा द्वारा सम्पादित की गयी। अभियुक्त को दिनांक 19.05.2022 को गिरफ्तार कर दिनाँक 22.06.2022 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री श्यामप्रताप पटेल एवं पैरोकार आरक्षी प्रशांत कुमार व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल श्री प्रभूनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 19.12.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 735/025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के आरोपी अभियुक्त रासतीश पटेल पुत्र संतोष पटेल निवासी जगदीशगंज थाना कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 वर्ष 01 माह का सश्रम कारावास तथा 2000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण-
उल्लेखनीय है कि दिनांक 03.12.2024 को तत्कालीन उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह कोतवाली कर्वी द्वारा अभियुक्त सतीश पटेल पुत्र संतोष पटेल निवासी जगदीशगंज थाना कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 किलो 250 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 735/025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री अनुभव वर्मा द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में दिनाँक 05.01.025 को आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

(9). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष पहाड़ी श्री प्रवीण कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार, प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री प्रभुनाथ यादव उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा दिनाँक 19.12.2025 को पैरवी हेतु मुख्यालय से चिन्हित थाना मु0अ0सं0 62/2018 धारा 376,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रामचन्द्र पुत्र सुखमा निवासी चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.04.2018 को थाना पहाड़ी अंतर्गत एक वादी द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी गई कि अभियुक्त रामचन्द्र पुत्र सुखमा निवासी चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा उनकी पुत्री के साथ बलात्कार किया व गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी । इस सूचना पर थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 62/2018 धारा 376,504,506 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन नि0 श्री गोपालचंद्र द्वारा सम्पादित की गई तथा दिनांक 20.08.2018 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्ग विजय सिंह एवं पैरोकार महिला आरक्षी कृष्णा गौतम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा आज दिनांक 19.12.2025 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 868/2009धारा 25 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त धनराज केवट उर्फ रामफल केवट निवासी गडवा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 500/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(11). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्ग विजय सिंह एवं पैरोकार महिला आरक्षी कृष्णा गौतम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा आज दिनांक 19.12.2025 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 336/2010 धारा 336,427,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त शिवनायक पुत्र हरभगत निवासी पूरब पताई जनपद चित्रकूट को 2100/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(12). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्ग विजय सिंह एवं पैरोकार महिला आरक्षी कृष्णा गौतम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा आज दिनांक

19.12.2025 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 211/2015 धारा 504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. बोडडा पासी पुत्र जुड़ावन पासी 2. सोनिया पत्नी बोडडा जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया।